भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3885
(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट संस्थाओं के खिलाफ वित्तीय कदाचार और रिश्वतखोरी के आरोप

3885. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिलः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रमुख कारपोरेट संस्थाओं से संबंधित वित्तीय कदाचार, अनियमितताओं, कर चोरी और रिश्वतखोरी के हाल के आरोपों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई जांच शुरू की है या सेबी, एसएफआईओ और एनएफआरए जैसी संबंधित नियामक संस्थाओं को इन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है और सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने तथा भविष्य में कारपोरेट पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कारपोरेट कानून में संशोधन करने की योजना बना रही है;

(घ) क्या सरकार को स्थानीय निवेशकों, कर्मचारियों और छोटे व्यवसायों पर कारपोरेट धोखाधड़ी और वित्तीय घोटालों के प्रभाव की जानकारी है और यदि हां, तो निवेशकों के विश्वास की रक्षा करने और छोटे निवेशकों और कर्मचारियों सहित हितधारकों को वित्तीय धोखाधड़ी और कारपोरेट कुशासन से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उन्हें मुआवजा देने के लिए प्रदान की गई राहत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा छोटे उद्यमियों में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) कंपनी अधिनियम, 2013 और एलएलपी अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इन अधिनियमों में ऐसे प्रावधान हैं जो विभिन्न हितधारकों द्वारा कंपनियों और एलएलपी के संचालन और प्रबंधन से संबंधित कुछ कार्यों को अधिदेशित करते हैं। इन अधिनियमों के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत अपराधों के समान गैर-अनुपालन के मामलों में विनियामक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के गैर-अनुपालन के संबंध में शिकायतें या संदर्भ प्राप्त होने पर,

केंद्रीय सरकार, उल्लंघनों की गंभीरता के आधार पर और जनहित में, कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय V में वर्णित धारा 206(4), 206(5), 210(1) के तहत जांच, निरीक्षण या अन्वेषण का आदेश दे सकती है। एलएलपी के निरीक्षण के लिए, खातों बहियों के निरीक्षण से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 206 (5) को दिनांक 11-02-2022 की अधिसूचना के अनुसार एलएलपी पर लागू किया गया है। एलएलपी की जांच, एलएलपी अधिनियम 2008 की धारा 43 (3) (ग) के तहत विचार की जा सकती है। गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में जहां केंद्रीय सरकार की ऐसी राय है, मामलों को अधिनियम की धारा 212 के तहत जांच के लिए गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को सौंपा जा सकता है। जहां भी लागू हो, जांच, निरीक्षण और अन्वेषण के निष्कर्षों को अन्य एजेंसियों जैसे एनएफआरए, सेबी, आयकर विभाग, जीएसटी अधिकारियों और अन्य एजेंसियों जैसा भी मामला हो, के साथ भी साझा किया जाता है, ताकि वे प्रासंगिक संविधियों के तहत आवश्यक नियामक कार्रवाई कर सकें।

(ग): वर्तमान में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ): कम्पनी अधिनियम, 2013 में अधिनियम के बड़े और गौण उल्लंघनों से निपटने के लिए एक विस्तृत ढांचा निहित है। प्रमुख अनुपालनों में लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत सांविधिक फाइलिंग, निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों को सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन, लेखापरीक्षकों की भूमिका आदि शामिल हैं।

एमसीए ने निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हितधारकों को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से सक्रिय उपाय किए हैं जो विभिन्न शहरों में तीन व्यावसायिक संस्थानों नामत: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सहयोग से नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(3)(ख) के अनुसार, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) को सामान्य रूप से जनता के बीच वित्तीय साक्षरता के महत्व को स्वीकार करते हुए निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आईईपीएफ निधि का उपयोग करने के लिए अनिवार्य है। आईईपीएफए द्वारा संचालित निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) सामान्य प्रकृति के हैं जिनका उद्देश्य निवेशकों को विशेष रूप से बचत, बजट, निवेश और सामान्य रूप से पूंजी बाजारों के बारे में शिक्षित और संरक्षित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशक शिक्षा पूरे देश में व्यापक दर्शकों तक पहुंचे। इन एकीकृत प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत, शिविरों का आयोजन करके वित्तीय साक्षरता और जागरूकता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, "निवेश दीदी" भारतीय डाक भुगतान बैंकों (आईपीपीबी) के माध्यम से एक अभिनव पहल है, जिसमें प्रशिक्षित महिला डाकिया को शिविर आयोजित करने के लिए नियोजित किया जाता है, जिसमें वंचित महिलाओं को लक्षित किया जाता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बाज़ार अवसरंचना संस्थान (एमआईआई) अर्थात् एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीज के समन्वय में, देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है। निवेशक जागरूकता के लिए शैक्षिक और जागरूकता सामग्री के लिए

एक समर्पित वेबसाइट https://investor.sebi.gov.in/ का रख-रखाव किया जाता है। सेबी ने 18 मार्च, 2024 को निवेशक जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई एक मुफ्त, स्वैच्छिक ऑनलाइन परीक्षा "सेबी निवेशक प्रमाणन परीक्षा" शुरू की है। यह ऑनलाइन परीक्षा निवेशकों की निवेश प्रक्रिया और प्रतिभूति बाजार में संबंधित जोखिमों की समझ को बढ़ाने में मदद करती है और इस प्रकार निवेशक की जोखिम भूख के साथ संरेखित निवेश के प्रति एक कुशल दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति के अंतर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में जिला स्तर पर अग्रणी बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) और ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (सीएफएल) की स्थापना के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक नियमित रूप से एफएलसी के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ मिलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र (एनसीएफई), सीएफएलएस के सहयोग से नियमित रूप से वित्तीय शिक्षा (एफई) आयोजित कर रहा है।

*****